2. अस्पताल का रोकड़िया रोकड़ के लेन-देन में एक सीमा से अधिक वृद्धि हो जाने पर मामूली अतिरिक्त मदद पर वर्तमान समय की तरह कार्य करता रहेगा।

(इसका निर्णय वित्तीय नियम के अनुसार वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाएगा)।

3. रात्रि आठ बजे के बाद और रविवार और छुट्टी के दिनों में भर्ती रोगियों को विशिष्ट रंगीन शीट दी जाएगी, जैसा कि इस समय किया जा रहा है। इससे वार्ड की प्रभारी नर्स को अगले कार्य दिवस में ऐसे दाखिलों का पता लगाने में आसानी होगी। तब वह ऐसे रोगियों को आवश्यक अग्रिम का भुगतान करने को कहेगी, जैसा कि अन्य मामलों में किया जाता है।

4. प्राइवेट वार्ड में भर्ती रोगियों को इस समय "बी" श्रेणी के कमरे के लिए 5000/-रुपये और "ए" श्रेणी के कमरे के लिए 10,000/-रुपये अग्रिम राशि के बजाए क्रमशः 8000 रुपये और 12,000 रुपये दाखिले के समय देने होंगे। प्राइवेट वार्ड के रोगियों के बिल बनाने का कार्य अस्पताल के बिल अनुभाग द्वारा बनाना जारी रहेगा।

5. सामान्य वार्ड के रोगी को दाखिले के समय वर्तमान के 50 रुपये के बदले 350 रुपये अग्रिम जमा कराने होंगे।

6. रोगी के छुट्टी/मृत्यु के समय बिल बनाना, खातों का समायोजन और अग्रिम की वापसी की प्रक्रिया वर्तमान की तरह ही जारी रहेगी।

7. कोशिका विज्ञान, एन० एम० आर० आदि की विशेष जांच के लिए भुगतान चरण-II के कार्यान्वयन तक वर्तमान दर पर ही जारी रहेगा।

ख. बहिरंग रोगी विभाग

1. बहिरंग रोगी पंजीकरण शुल्क वर्तमान समय में एक रुपये के स्थान पर दस रुपये वसूल किया जाएगा।

2. विशेष जांचों के लिए जांच प्रभार वर्तमान स्तर पर चरण-II के कार्यान्वयन तक जारी रहेंगे।

3. मुख्य अस्पताल के राजकुमारी अमृत कौर बाह्य रोगी विभाग में केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय तथा संबंधित केन्द्रों के पंजीकरण पटलों द्वारा पुराने रोगियों के लिए दस रुपये की दर पर नए कार्ड केन्द्रीय रूप से जारी किए जाएंगे।

4. उपर बतलाई गई प्रक्रियाओं/जांचों के अलावा अन्य के लिए प्रभार प्रक्रिया जो इस समय है, चरण-II के कार्यान्वयन तक जारी रहेगी।

नोट : उक्त संशोधित अस्पताल प्रभार ऐसे रोगियों के लिए होंगे जिन्हें 10 अप्रैल, 1995 से अस्पताल में भर्ती किया जाता है।

Improved Chulhas in Madhya Pradesh

*439. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to install more than two million improved chulhas in rural areas of the country during the year 1995-96;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how many improved chulhas are likely to be installed in Madhya Pradesh during the said period, district-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir. A target of promotion of 24 lakh improved chulhas has been proposed for the year 1995-96 under the National Programme on Improved Chulhas (NPIC).

(b) NPIC provides for central subsidy to beneficiaries; one time remuneration to self employed workers and non-governmental organisations for installation and maintenance services; organisational infrastructure to State Governments and nodal agencies; various kinds of training programmes; Technical Back-up Units and publicity and extension.

(c) About 2.45 lakh chulhas are proposed to be installed in the State of Madhya Pradesh during the year 1995-96. The State Nodal Agency has planned a target of 3000 improved chulhas for the district of Bastar and 5500 improved chulhas for each of the remaining districts.